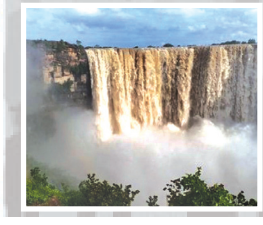
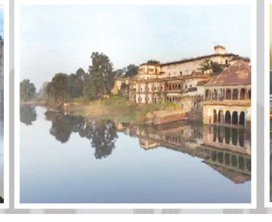

जिले के तीन दर्जन शासकीय तालाब अतिक्रमण की चपेट में

कई तालाब भू-माफियाओं की नजर में, कुछ में बन गए शासकीय भवन, चोरहटा रानी तालाब में अतिक्रमण

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, जल संरक्षण को लेकर सरकार जल गंगा अभियान चला रही है और तालाब को बचाने के प्रयास भी किये जा रहे है जो खोखले साबित हो रहे है. सरकारी तालाबो का वजूद मिट गया है और जो बचे है वह अतिक्रमण के चपेट में है. जिले के तालाबो में भू-माफियाओ की नजर है कई जगह तालाबो की मिट्टी तक खोद ली गई पर कोई कार्यवाही नही हुई. कई तालाबो में प्रशासनिक भवन बन गये, इस तरह से तालाबो का वजूद खुद मिट गया.

हुजूर तहसील में तीन तालाब है जो अतिक्रमण के चपेट में है. इसी तरह त्योंथर में 19, मऊगंज में 11 और सिरमौर में 2 शासकीय तालाबो में अतिक्रमण है. जानकारी के मुताबिक तीन दर्जन ऐसे तालाब है जो अतिक्रमण के चपेट में है. वही एक दर्जन से अधिक तालाब भू-माफियाओ के नजर में आने के बाद खुर्द-बुर्द हो गये. तालाबो में लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर केवल कार्यवाही दिखावे के लिये होती है. पूर्व में रीवा और मऊगंज के तालाबो को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई गई थी. जिसमें तालाबो को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश दिया गया था. उसके बाद कई तालाबो से अतिक्रमण हटाया गया. शहर के कई ऐसे तालाब है जिनका सौन्दर्यीकरण अतिक्रमण हटाने के बाद किया गया है. लेकिन कुछ तालाब है जिस पर अभी अतिक्रमण है. चोरहटा स्थित रानी तालाब में वर्षो से अतिक्रमण है जहा पक्के और कच्चे मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है. मेड़ का एक हिस्सा पूरी तरह से अतिक्रमण के चपेट में है. इतना ही नही तालाब के अंदर की मिट्टी भी भू-माफिया खोद कर ले गये.

चोरहटा रानी तालाब से हटाया गया अतिक्रमण

नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देशानुसार वार्ड क्रमांक 4, चोरहटा स्थित रानी तालाब मंदिर की मेड़ पर लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को नगर निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा हटाने की कार्यवाही की गई. यह कार्रवाई तालाब के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से की गई. उक्त कार्रवाई के दौरान चोरहटा रानीतालाब मंदिर की मेड़ से 17 कच्चे मकान एवं 1 पक्का मकान को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया गया. पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. इस दौरान संपत्ति कोल, तिलकधारी उर्फ ललवा, लोली कोल, विरेन्द्र, संतोष, रमेश आदि के कच्चे मकानों को हटाया गया. नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के साथ ही प्रभावित परिवारों को जनभागीदारी से निर्मित भवन में पुनर्वास करते हुए विस्थापित किया गया तथा उनकी सामग्री भी निगम अमले द्वारा वहां स्थानांतरित कराई गई. उक्त कार्यवाही में सहायक यंत्री एवं अतिक्रमण प्रभारी राजेश चतुर्वेदी, रावेन्द्र शुक्ला, सुखेन्द्र चतुर्वेदी मौजूद रहे.

घटिया निर्माण करने पर ननि ने ठेकेदार को किया दो वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, नगर निगम जोन क्र. 04 अंतर्गत वार्ड क्र. 43 नर्मदा नगर में कराए गए सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त के निर्देश पर कार्यपालन यंत्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा मौके पर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लैकलिस्ट किया गया.

उल्लेखनीय है कि नर्मदा नगर क्षेत्र में गोकरण पंडित के घर से रमेशचन्द्र पाण्डेय के घर तक सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य कराया गया था, जिसकी निविदा लागत लगभग 25.60 लाख रुपये थी. निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त सड़क की टॉप कंक्रीट कई स्थानों पर खराब हो चुकी है, जो गुणवत्ताहीन कार्य का द्योतक है. इस संबंध में ठेकेदार को कई बार सूचित कर आवश्यक सुधार कार्य कराने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुधार कार्य नहीं कराया गया. इस पर निगम द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तथा नियमों एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध दो वर्षों के लिए नगर निगम की किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित (ब्लैकलिस्ट) करने की कार्रवाई की गई. साथ ही ठेकेदार की जमा ईएमडी एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि राजसात करने की कार्रवाई भी की गई. निगमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि शहर में किए जाने वाले सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

लाइसेंस के बिना पशु, मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने लाइसेंस के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि नगरीय निकायों से अनुमति प्राप्त किए बिना अथवा लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में या अन्य निर्दिष्ट स्थानों में पशु मांस व मछली का विक्रय होने से आवारा श्वानों की संख्या में वृद्धि होती है तथा गंदगी फैलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है. साथ ही मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

उन्होंने रीवा जिले में खुले स्थानों पर पशु मांस तथा मछली के विक्रय के संचालन में धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि जिले में कोई भी व्यक्ति मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत किसी ऐसे पशु को जो रोगी हो न बेचेगा, न विक्रय के लिए प्रदर्शित करेगा और न ही फेरी द्वारा विक्रय किया जाएगा. किसी ऐसे खाद्य पेय या औषधि को जो अपौष्टिक, अस्वास्थ्यकारक, अपमिथित या मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो उसका भी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा.

जिले में कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अतिरिक्त मानवीय खाद्य के लिए अभिप्रेत पशुओं के विक्रय हेतु अथवा विक्रयार्थ प्रदर्शित करने के आशय से नवीन निजी बाजार की स्थापना नहीं करेगा. उन्होंने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

सामूहिक विवाह सम्मेलन 14 को गंगेव में

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन 14 मार्च को गंगेव स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है.

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल होंगे तथा अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्र करेंगे. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक गुढ़ नागेन्द्र सिंह, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक सेमरिया अभय मिश्रा, विधायक त्योंथर सिद्धार्थ राज तिवारी, विधायक मनगवां नरेन्द्र प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल तथा जनपद अध्यक्ष गंगेव विकास तिवारी उपस्थित रहेंगे. कलेक्टर ने सम्मेलन को सफल बनाने दायित्व सौपे है.

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आज

कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में 11 मार्च को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की जा रही है. बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल करेंगी. इस संबंध में जिला पंजीयक श्रीमती संध्या सिंह ने बताया कि बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अचल सम्पत्तियों का बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाएगा. नई गाइडलाइन के अनुसार प्रस्तावित दर जिला पंजीयक कार्यालय तथा उप पंजीयक कार्यालय मऊगंज, हनुमना, सिरमौर एवं त्योंथर में उपलब्ध है. आमजन इसका अवलोकन करके सुझाव दे सकते हैं.

संक्षिप्त

भूमि आवंटन के संबंध में दावे-आपत्तियां 26 तक

रीवा, नगर निगम द्वारा एकीकृत व्यावसायिक योजना क्रमांक दो के तहत खुटेही में आराजी क्रमांक 140 क्षेत्रफल 0.4860 हेक्टेयर, आराजी क्रमांक 480 रकबा 0.8740 हेक्टेयर तथा आराजी क्रमांक 265 रकबा 0.9100 हेक्टेयर के आवंटन के लिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है. इस संबंध में तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला ने बताया कि उक्त जमीनों के आवंटन की कार्यवाही की जा रही है. इनके संबंध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह 26 मार्च 2026 तक तहसीलदार हुजूर के न्यायालय में लिखित में आपत्ति दर्ज करा सकता है. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.

22वीं किस्त 13 को होगी जारी

रीवा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का वितरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13 मार्च को गुवाहाटी असम से किया जाएगा. यह दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने 13 मार्च को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर लाइव प्रसारण दिखाए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष में 6 हजार रुपए की राशि तीन समान किस्तों में किसानों को प्रदान की जाती है.

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 को

रीवा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाएगा. कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन अपरान्ह दो बजे से होगा. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं से उपभोक्ताओं को अवगत कराने तथा मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं.

कमिश्नर ने आमजनता के आवेदनों में की जनसुनवाई

रीवा, कमिश्नर बीएस जामोद ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आमजनता के आवेदन पत्रों में सुनवाई की. जनसुनवाई में श्रीमती आशा सिंह, कुमारी मंजुला, सुनील सिंह सहित विभिन्न आवेदकों के आवेदनों में सुनवाई की. जनसुनवाई में अनुकम्पा नियुक्ति तथा पेंशन भुगतान, समयमान वेतनमान, सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने, फोरलेन रोड की सर्विस रोड में सुधार, जमीन के सीमांकन तथा नक्शा तरमीम के आवेदनों में सुनवाई की गई. कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन पत्रों का सात दिवस में समुचित निराकरण करने के निर्देश दिए. जनसुनवाई में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

जरूरतमंदों को खाद्यान्न का वितरण

रीवा, हर सालों की तरह इस साल भी उम्मीद फाउंडेशन द्वारा रमजानुल मुबारक के मौके पर रीवा शहर व ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों को खाद्यान्न का वितरण किया गया. जिससे कि सभी भाई बहन ईद का त्यौहार सही तरीके से मना सके. इस मौके पर फाउंडेशन के सचिव हाजी डी.डी. खान व कैशियर मुहम्मद याकूब खान सरपरस्त मोहम्मद वाहिद खान मीडिया प्रभारी मास्टर मोहम्मद रफी खान द्वारा बताया गया कि फाउंडेशन के द्वारा गरीब परिवारों को मेडिकल के लिए तथा रोजगार के लिए, फंड मुहैया कराती आ रही है. कई बहनों को सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराया गया है तथा पिछले साल से स्टूडेंटों के लिए लाइब्रेरी भी संचालित है. खाद्य वितरण के समय खासतौर पर फाउंडेशन के सदर हाजी मोहम्मद हनीफ तथा हाजी असलम खान रहीमुद्दीन खान इंजीनियर राशिद खान, तौहीद खान, मदरसा इस्लामिया के सदर वाइज खान हाजी एहसन खान, रफ़ात खान आमिर खान हाजी शफीक खान जहीर खान हाजी हसन अली खान मौजूद रहे.

14 को लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा निबटाए जाएंगे प्रकरण

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, जिला न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में एवं सुरेन्द्र कुमार, विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोंक अदालत के तत्वाधान में आगामी 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है.

इस संबंध में बीमा कंपनी प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण हेतु नवीन जिला न्यायालय भवन के कान्फ्रेंस हाल में बीमा कंपनी के पदाधिकारीगण एवं अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई. सुधीर सिंह राठौड़ जिला न्यायाधीश, संदीप कुमार श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश, मोहित कुमार जिला न्यायाधीश, अनुज त्यागी जिला न्यायाधीश, शशांक खरे जिला न्यायाधीश, आशीर्वाद भिलाला जिला न्यायाधीश आदि मौजूद रहे.

प्रशासन कह रहा एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक फिर भी नहीं मिल रहे सिलेंडर

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की मारामारी शुरू हो गई है. गैस एजेंसियां स्टाक कम होने का बहाना बताकर सिलेंडर की सप्लाई नही कर रही है.

लिहाजा लोग सिलेंडर के लिये भटक रहे है. वही मौके का फायदा उठाकर ब्लैक में मंहगे दाम पर सिलेंडर दिये जा रहे है. उधर प्रशासन का साफ कहना है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टाक व आपूर्ति है तो फिर सिलेंडर की मारामारी जिले में कैसे है. अभी कई दिनो तक गैस सिलेंडर टोल फ्री नम्बर से बुक नही हो रहे थे और जिन लोगो ने बुक भी किया है उनके यहा सप्लाई नही हो रही है स्टाक कम बताकर एजेंसी सप्लाई नही दे रही है. मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि वर्तमान स्थिति में जिले में घरेलू उपयोग के लिए सिलेण्डर का पर्याप्त स्टाक व आपूर्ति है साथ ही पेट्रोल एवं डीजल की भी पर्याप्त उपलब्धता है. एलपीजी की आपूर्ति और विपरण केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही किया जा रहा है इसमें किसी भी प्रकार की कालाबाजारी किये जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी. कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ गैस एजेंसी संचालको की बैठक ली. जिसमें कालाबाजारी की शिकायत पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये है.

जनसुनवाई में शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर रास्ता बंद करने का पहुंचा मामला

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में 88 आवेदकों की समस्यायें सुनीं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये.

उन्होंने हरदाई टोला जवा के आम नागरिकों द्वारा शासकीय भूमि के अतिक्रमण हटाकर रास्ता बहाल कराने के आवेदन पर एसडीएम जवा को कार्यवाही करने के निर्देश दिये. जबकि चौर निवासी अनिल कुमार जायसवाल के सीमांकन कराकर रास्ता दिलाने के आवेदन पर एसडीएम जवा को तीन दिवस में कार्यवाही कर सूचित करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये. जनसुनवाई में रामदयाल चौड़ियार निवासी के बटवारा अनुसार कार्यवाही किये जाने के आवेदन पर एसडीएम गुढ़ को तथा खैरा निवासी लखनलाल चौधरी के सीमांकन कराने के आवेदन पर तहसीलदार हुजूर को, मो. सकसैन के मकान निर्माण पर रोक के आवेदन पर तहसीलदार हुजूर को तथा दुआरी निवासी भोला प्रसाद पटेल के शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की शिकायत की.

कोल भवन में आज लगेगा कारीगर मेला

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, सामुदायिक कोल भवन चिरहुला कालोनी रीवा में 11 मार्च को सुबह 11 बजे से कारीगर मेले का आयोजन किया जा रहा है.

इसका आयोजन जनजातीय कार्य विभाग तथा ट्राईफेड द्वारा किया जा रहा है. इस संबंध में जिला संयोजक केके पाण्डेय ने बताया कि मध्यप्रदेश आदिवासी कारीगर मेले में प्रत्येक जनजातीय वर्ग का कारीगर भाग ले सकता है. जनजातीयों के लिए कार्य करने वाले स्वसहायता समूह तथा ऐसे अशासकीय संगठन जिनके 70 प्रतिशत सदस्य जनजाति वर्ग के हों वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं. सम्मेलन में पंजीयन कराने के लिए जाति प्रमाण प्रत्र आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. सभी प्रतिभागी जनजातीय कारीगरों के ठहरने की व्यवस्था की गई है.

कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में लगाया जाएगा रक्तदान शिविर

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, आगामी 16 मार्च को जिला चिकित्सालय में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है. कलेक्टर ने शिविर आयोजन में विभिन्न विभागों को सहभागिता के निर्देश दिये हैं.

उन्होंने आमजन से अपील की है कि रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान जैसे पुनीत कार्य में भागीदार बनें. कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को शिविर की व्यवस्थाओं के संबंध में दायित्व सौंपे तथा निर्देश दिये कि शिविर के व्यवस्थित आयोजन की सभी तैयारियाँ पूर्ण करायें. उन्होंने शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों से शिविर में अधिक से अधिक रक्तदान कराने की बात कही. कलेक्टर ने कहा कि इससे पूर्व भी रीवा में जो रक्तदान शिविर आयोजित हुए हैं उनके अच्छे परिणाम आयें हैं. लोगों ने बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सेदार की ओर अधिक मात्रा में रक्त का संग्रहण हुआ.

ऑपरेशन रिंगटोन : गुम हुए मोबाइल पाकर खिले चेहरे

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, रीवा में पुलिस के ऑपरेशन रिंगटोन के तहत थाना अमहिया क्षेत्र से गुम हुए 111 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंपे गए.

जो मोबाइल गुम गये थे उनके मालिको को उम्मीद नही थी कि फिर से उनका मोबाइल उनके पास होगा. जैसे ही हाथ में मोबाइल मिला, सभी के चेहरे खिल उठे. पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह द्वारा थाना अमहिया से गुम हुए कुल 111 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को वितरित किए गए. इन मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस द्वारा तकनीकी सहायता और ट्रेसिंग के माध्यम से इन मोबाइल फोन को बरामद किया गया. अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली और उन्होंने रीवा पुलिस का आभार जताया. इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता के लिए थाना प्रभारी अमहिया शिवा अग्रवाल और उनके स्टाफ की सराहना भी की. साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराएं, जिससे उसे जल्द ट्रेस कर वापस दिलाया जा सके.

अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, संजय गांधी अस्पताल एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रही मनमानी और लापरवाही को लेकर मंगलवार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया.

यह प्रदर्शन अधिवक्ता अमृतलाल मिश्रा के नेतृत्व में किया गया. दरअसल विरोध प्रदर्शन के दौरान बताया गया कि अस्पताल में डाक्टरो के सेवाभाव में अभाव है. समुचित इलाज न मिलने के कारण मरीजो को निजी नर्सिंग होम जाना पड़ता है जो अब लूट का अड्डा बन चुके है. डाक्टरो के प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने, रात में राउण्ड करने और ओपीडी में समय पर पहुंचने की मांग की गई है ताकि मरीज परेशान न हो. सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन चला और उसके बाद रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की गई.

फीस जमा करने अधिवक्ताओं को मिला एक और मौका

नवभारत न्यूज

रीवा, 10 मार्च, जिला अधिवक्ता संघ रीवा चुनाव 2026 होना है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूर्यनाथ पाण्डेय द्वारा बताया गया है कि निर्वाचन कार्यालय में कई अधिवक्ता आकर यह अवगत करा रहे थे कि किसी कारणवश अधिवक्ता संघ रीवा द्वारा निर्धारित तिथि तक मासिक शुल्क जमा नहीं कर पाने के कारण उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका, जिससे वे मतदान करने से वंचित हो रहे हैं. निर्णय लिया गया है कि जो अधिवक्ता किसी कारणवश मासिक शुल्क जमा करने से छूट गए हैं, वे 11 एवं 12 मार्च को शाम 4 बजे तक अधिवक्ता संघ कार्यालय में अपना शुल्क जमा कर सकते हैं.